न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज. सरकार जरिये तहसीलदार सा. नावां तह. नावां		1. चन्द्रीदेवी पत्नि किशनाराम जाति जाट 2. पूराराम पुत्र किशना जाति जाट सा. केरपुरा तह. नावां।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :– 0163/2023 निर्णय दिनांक :– 09.12.2023

आदेश

तहसीलदार नावां ने ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां के खसरा नम्बर 130 रकबा 4.83 हैक्टर किस्म चाही–2/जाव–2 भूमि में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षो से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर चाही–2/जाव–2 दर्ज हैं। तहसीलदार नावां ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां के खसरा नम्बर 130 रकवा 4.83 हैक्टर किस्म चाही–2/जाव–2 भूमि में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में चाही–2/जाव–2 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां के खसरा नम्बर 130 रकबा 4.83 हैक्टर किस्म चाही–2/जाव–2 भूमि दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षो से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां के खसरा नम्बर 130 रकबा 4.83 हैक्टर किस्म चाही–2/जाव–2 भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा भूमिधारी तहसीलदार नावां ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3(2) राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये है। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अतः तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम केरपुरा पटवार हल्का भांवता तहसील नावां के खसरा नम्बर 130 रकबा 4.83 हैक्टर किस्म चाही–2/जाव–2 में से 0.084 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता की भूमि खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अंभिन्न अंग रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार नावां को पालनार्थ भिजवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:46 IST
Reason: SelfAttested

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)